

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 625/2024

ओंकार सिंह पुत्र हरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन शेरगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. गुरदीपसिंह पुत्र त्रिलोचनसिंह जाति जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. हरजीतसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. हरप्रीतसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुखमनकौर पुत्री हरजीतसिंह पत्नी पालसिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंहवाला
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व
सिंह जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 4 श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :- वादी को चक न. 15
एमकेएस के खाता संख्या 23/17 में कुल 1.132 है. आराजी का एवं प्रतिवादी संख्या 3 हरप्रीत सिंह को 0.
633 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह का नाम कलमजन किया
जाने एवं इसी चक के खाता संख्या 22/11 में वादी को 0.104 है. व प्रतिवादी संख्या 3 को 0.104 है.
आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाने तथा इसी
चक के खाता संख्या 136/19 में वादी को 0.886 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी
संख्या 2 हरजीत सिंह का इसी अनुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजीनामा डिक्री का
भाग रहेगा।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...16.1.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

